

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय

ओडिशा, भुवनेश्वर - 751001

परिपत्र

विषय: वित्त वर्ष 2025-2026 (निर्धारण वर्ष 2026-27) के लिए वेतन से आयकर की कटौती ।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय के अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन से वित्त वर्ष 2025-26 (निर्धारण वर्ष 2026-27) के लिए आयकर की कटौती माह दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक की जानी है। अतः सभी अधिकारियों / कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपने आयकर की गणना कर बचत / अतिरिक्त आय का साक्ष्य दिनांक 05 दिसंबर 2025 तक कार्यालय स्थापना अनुभाग लेखापरीक्षा I में प्रस्तुत करें एवं पीएफएमएस में पुराने एवं नए आयकर रिजीम के संबंध में विकल्प का चयन स्वयं करें। नए आयकर रिजीम के विकल्प का चयन करने वाले कर्मिकों को बचत का साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी: सभी अधिकारियों / कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे उपयुक्त गृह किराया पावती / इंश्योरेंस प्रीमियम रसीद / हाउस लोन रिसीप पर ब्याज / बैंक स्टेटमेंट (सम्पत्ति का पिन नंबर के साथ पता) इत्यादि प्रस्तुत करें। ऐसे सभी दस्तावेजों के साथ एक अग्रेशन पत्र संलग्न किया जाना चाहिए जिसमें प्रमाणपत्र "निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए आयकर में छूट के लिए मेरे द्वारा प्रस्तुत" के साथ पूर्ण हस्ताक्षर, सम्पर्क नंबर एवं जीपीएफ खाता संख्या अंकित होना चाहिए अन्यथा उस पर छूट हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

हस्ता./-

उप महालेखाकार / प्रशासन (लेखापरीक्षा I)

जापन संख्या का० स्था० (लेखापरीक्षा प्रथम) / आईटी/2025-26/228

दिनांक 19.11.2025

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है -

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) ओडिशा, भुवनेश्वर
2. आशुलिपिक I, वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) ओडिशा, भुवनेश्वर/एमजी पंचम
3. आशुलिपिक II, उप महालेखाकार एएमजी प्रथम / एएमजी द्वितीय / एएमजी तृतीय / एएमजी चतुर्थ
4. कल्याण अधिकारी
5. शाखा अधिकारी प्रभारी प्रशासन / ओएम प्रथम एवं द्वितीय / रिपोर्ट मुख्य / पीएसी/ईसीपीए/हिंदी/विधिक/प्र. एवं परी./ आईटीए/गोपनीय प्रको./डीए एंड आरसी/एफएए / सम्पदा
6. शाखा अधिकारी / एएमजी प्रथम / एएमजी द्वितीय / एएमजी तृतीय/एएमजी चतुर्थ / एएमजी पंचम, नियंत्रक अनुभाग अधिकारियों से अनुरोध है कि वे फील्ड पार्टी के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इस संबंध में सूचित करें।
8. सहा०लेप.अ०/डीए एण्ड आरसी से अनुरोध है कि उक्त परिपत्र को कार्यालय की वेबसाइट एवं स्थानीय साइट पर अपलोड करें।
9. नोटिस बोर्ड

स्वाति पाणिग्राही

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / का० स्था० (लेखापरीक्षा I)